न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–172/2022 धारा–144 दं0प्र0स0ं

संगीता अम्बास्टा –बनाम– अशोक राणा वगै0

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार निम्न भूमि पर तनाव व्याप्त है।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा– पदमा, थाना–पदमा ओ0पी0,जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
326	2615	0.09डी0	उ0– प्रसाद मिस्त्री द0– परती पू0– गोबरधन मिस्त्री प0– महावीर दबधर
326	2617	0.08डी0	उ0– देवकी गोप द0– परती पू0– महाविर दास प0– परती

उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर शांति व्यवस्था, विधि–व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर धारा–144दं0प्र0सं0 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए पक्षकारों को विवादीत भूमि पर जाने से (02 माह) तक रोक लगाते हुए नोटिस तामिला हेतु भेजा जो साक्ष्य के रूप में संलग्न है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के दलिल तथा उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात से स्पष्ट होता है की प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष अपने–अपने भूमि से संबंधित दस्तावेज के आधार पर दखल–कब्जा का दावा करते हैं/कर रहें है। जो दं0प्र0स0 के अन्तर्गत वाद का निपटारा किया जाना संभव नही है।

फलतः अभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। उभय पक्ष अपनी–अपनी स्वत्व के आधार पर अपनी भूमि का दखल–कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग में अपना वाद दाखिल करने को स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

23/12/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

23/12/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.03.18 12:15:34 +05:30
Location: 192.168.1.34